





नवाबकालीन दस्तावेजों को सहेजकर सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट ने आर्डर कर दिया है। सील बंद इन दस्तावेजों को आगामी आदेश तक राज्य संग्रहालय में रखा जाएगा। नवाबकालीन दस्तावेजों में शाहजहां बेगम से लेकर हुमायूँ खान के शासन काल तक के भोपाल के इतिहास का हस्तलिखित मसौदा भी मिला है। मुमताज बेग, पुरातत्वविद







बताते हैं कि गोदामों में गल्ल भण्डारित करने जगह नहीं है इसलिए राशन दूकानों से गल्ल दूकानों को अभी से तीन तीन माह की गल्ल दिया जा चाही है। इस तरह के वितरण में विक्रेताओं की रक्षा हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं है कि उन्हें इस माह तीन महीने का गल्ल मिलना चाहिए। दूकानदार जिसका लाभ उठा रहे हैं। मीडिया टीम को ध्रमण के दौरान कई ऐसी दूकानें भी मिलीं जहां दूकान संधारण को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

